विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) सरकार को इन खबरों की जानकारी है कि पाकिस्तान चीन की मदद से खुशब में 40 मेगावाट के एक परीक्षणात्मक नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण कर रहा है जिससे प्लूटोनियम का उत्पादन होगा। सरकार ने हाल ही में इस आशय की भी खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान चीन से 5000 रिंग मेगनेट्स अर्जित कर रहा है जिसका उपयोग नाभिकीय हथियारों के लिए यूरेनियम के संबर्धन हेतु अपकेन्द्रीय करना है।

(ख) इस आशय की खबरें मिली हैं कि कहूटा संवर्धन सुविधा के उपयोग के लिए पाकिस्तान द्वारा चीन से 5000 रिंग मेगनेट्स के अर्जन को देखते हुए अमरीकी सरकार ने हैंक ब्राउन संशोधन के तहत अनुमोदित 368 मिलियन अमरीकी डालर के हथियार पैकेज की आपूर्ति के संबंध में अपनी असमर्थता से पाकिस्तान को अवगत करा दिया है। अमरीका के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने कहा है कि पाकिस्तान को हथियार के पैकेज की आपूर्ति से सम्बद्ध निर्णय यह तब लेगा जब अमरीका चीन द्वारा पाकिस्तान को तथाकथित रिंग मेगनेट्स की आपूर्ति के संबंध में चीन के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्णय ले लेगा।

(ग) और (घ) पाकिस्तान के शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम और अपनी वैध सुरक्षा आवश्यकताओं से अधिक सैन्य क्षमताओं की अभिवृद्धि के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के बारे में सरकार ने अपनी चिन्ता से सभी संबंधितों को भली-भांति बता दिया है जिसमें अमरीकी सरकार तथा चीन की सरकार भी शामिल हैं। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को 368 मिलियन अमरीकी डालर के उन्नत सैन्य उपकरणों के पैकेज के प्रस्तावित अन्तरण के संबंध में भारत की गम्भीर चिन्ता से बार-बार अमरीकी प्रशासन तथा अमरीकी कांग्रेस को अवगत कराया गया है। अमरीका को यह कहा गया है कि इस प्रस्तावित अन्तरण का अर्थ होगा पाकिस्तान द्वारा गुप्त रूप से नाभिकीय प्रौद्योगिकी तथा सामग्रिय और साथ ही तीसरे देशों से बैलिस्टिक प्रेक्षपास्त्रों के अर्जन को वैध ठहराना जबकि वह बड़ी तादाद में अमरीका से सैन्य तथा आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है। इस संदर्भ में हमारी सरकार ने अमरीकी सरकार से पाकिस्तान को चीन द्वारा रिंग मेगनेट्स की आपूर्ति के संबंध में मीडिया खबरों का भी उल्लेख किया है।

New scheme for LPG connections

143. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry has since introduced a scheme for grant of LPG connections to some specific categories of citizens on payment of a lump-sum and non-refundable amount of Rs. 4,000/- or so;

(b) if so, the details of such categories of citizens as also eligibility criteria etc. thereof; and

(c) the details of LPG connections given till date under this scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) The Government have decided to release LPG connection on demand (Tatkal) to certain categories of persons. The main features of the scheme, presently in force, are as under:

(i) The Tatkal connection shall be released against one time payment of non-refundable lump-sum amount of Rs. 4000/- besides payment of normal/ applicable security deposit for loaned equipment as applicable for domestic consumers.

(ii) The Tatkal connection will be issued in the name of individual only.

(iii) The Tatkal connection will be released with DBC.

(iv) A total of 10% of annual industry allocation for release of new connections will be allocated for Tatkal connections.

(b) Following categories of prospective customers are eligible for release of LPG connection under this scheme:

(a) Physically handicapped persons.

(b) Doctors under medical profession.

(c) NRIs.

(d) Staff of foreign nationality serving in embassies, consulates, trade commissioners.

(e) Foreign nationals residing in India under valid visa.

(f) Persons returning to India on transfer of residence basis.

(g) Retired defence personnels within one year of their retirement.

(h) Professionals, namely, lawyers, Chartered Accountants, Chartered Engineers and Architects.

(i) Any person who has booked his LPG connection more than one year ago.

(c) Under this scheme 30689 connections have been released upto January, 1996.

निर्यातोन्मुखी उपभोक्ता खाद्य उद्योगों की स्थापना करना

144. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994 और 1995 के दौरान शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपभोक्ता खाद्य उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे और अधिक एककों की स्थापना हेतु कोई आवेदन-पत्र लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) और (ख) 1994-95 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य, एकीकृत एक्वाकल्चर और गहन समुद्री मत्स्यन हेतु शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के 110 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनका रोज़गार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) मंत्रालय के पास कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान अनुमोदित शत प्रतिशत निर्यान्तोमुखी यूनिटों के ब्यौरे

राज्य	प्रस्तावों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	29
बिहार	1
गुजरात	7
हरियाणा	13
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	11
केरल	1
मध्य प्रदेश	3
उड़ीसा	2
पंजाब	3
राजस्थान	1
तमिलनाडु	7
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	4
अंडमान निकोबार	
दादर तथा नगर हवेली	
गोवा	1
पांडिचेरी	
मेघालय	
महाराष्ट्र	19
त्रिपुरा	1
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र	
कुल:	110

Approval of Pooyam Kutty Hydel Power Project Kerala

145. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the department of Environment have approved the Pooyam Kutty Hydel Power Project of Kerala; and